आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 888/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

वास्तु हाऊसिंग फाइनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड, शाखा कार्यालय– प्रथम तल, मरूधर प्लाजा, एफ–300, श्याम नगर, न्यू सांगानेर रोड़, मेट्रो पिलर नं. 102 के सामने, सोडाला, जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री अखलेश शर्मा,
   पताः– प्लॉट नं. 100, सिद्धार्थ नगर, पालड़ी मीणा, डीएच हॉस्पिटल के पास, जयपुर।
   एवं प्लॉट नं. 100, सिद्धार्थ नगर, पालड़ी मीणा, जयपुर।
   एवं वार्ड नं. 29, गुढ़ा कटला रोड़, एम एम कोर्ट के पास, राजेश पायलट कॉलेज के पास, बांदीकुई, दौसा।
   एवं प्लॉट नं. 22ए, रघुनाथ विहार सी, सिरसी रोड़ के पास, 200 फीट बायपास, पांच्यावाला, जयपुर।
2. श्रीमती सुमन अखलेश शर्मा,
   पताः– प्लॉट नं. 100, सिद्धार्थ नगर, पालड़ी मीणा, डीएच हॉस्पिटल के पास, जयपुर।
   एवं वार्ड नं. 29, गुढ़ा कटला रोड़, एम एम कोर्ट के पास, राजेश पायलट कॉलेज के पास, बांदीकुई, दौसा।
   एवं प्लॉट नं. 22ए, रघुनाथ विहार सी, सिरसी रोड़ के पास, 200 फीट बायपास, पांच्यावाला, जयपुर।
3. श्री लोकेश कुमार जैन,
   पताः– 3886, कुंदीगर भैरू जी का रास्ता, जौहरी, बाजार, एमएसबी के रास्ते के पास, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित :–

1. श्री भवानी सिंह नरूका, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश **दिनांक 16.01.2023**

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक **29.06.2020** को पुनभुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी **श्री अखलेश राम अवतार शर्मा के स्वामित्त्व की संपत्ति प्लॉट नं. 22–ए, रघुनाथ विहार सी, सिरसी रोड़ के पास, 200 फीट बायपास, पांच्यावाला, जयपुर, क्षेत्रफल 165.6 वर्गगज** को बन्धक रख कर कुल राशि **10,00,000/–**रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक **15.09.2022** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का भलीभाति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि **10,00,000/—**रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि **09,93,044/—** रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक **15.09.2022** को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष मे बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **श्री अखलेश राम अवतार शर्मा के स्वामित्त्व की बंधक संपत्ति प्लॉट नं. 22—ए, रघुनाथ विहार सी, सिरसी रोड़ के पास, 200 फीट बायपास, पांच्यावाला, जयपुर, क्षेत्रफल 165.6 वर्गगज** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

6. आदेश आज दिनांक **16.01.2023** को सरे इजलास सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट (कलेक्टर) जिला जयपुर (राज.)

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर